खान मंत्रालय
भारत सरकार

चतुर्थ राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन

13 जुलाई, 2018, इंदौर

1.	भारत में खनिज परिदृश्य
2	खनिज नीतिगत रूपरेखा और नवीनतम सुधार
3.	खनिज ब्लॉकों की रियायतें प्रदान करने के लिए नीलामी व्यवस्था
4.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन
5.	2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी के लिए तैयारी
6.	गवेषण पर जोर
7.	अवैध खनन की रोकथाम के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस)
8.	सतत खनन पहलें: खानों की स्टार रेटिंग
9.	सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग : खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस)
10.	अवैध खनन और इसकी रोकथाम
11.	भारत में बालू खनन संबंधी व्यापक रूपरेखा
12.	विविध

1. भारत में खनिज परिदृश्य

- खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में एक है। यह अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को मूल-भूत कच्ची सामग्रियां उपलब्ध कराता है।
- सीएसओ द्वारा 2017-18 के लिए प्रकाशित वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम आकलनों के अनुसार खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ने 2017-18 में जीवीए में (वर्तमान मूल्यों पर) लगभग 2.5% का योगदान दिया।
- समग्र प्रवृति के आधार पर, वर्ष 2017-18 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12 = 100) पिछले वर्ष के 102.5 की तुलना में 104.9 रहने की संभावना है जो 2.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- जब से सरकार ने नीतिगत सुधार हेतु पहल की है, तब से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, जिसमें सभी कोयला, पेट्रोलियम, धात्विक और गैर-धात्विक खनिज शामिल हैं, में हुई सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में यह बदलाव देखा जा सकता है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्रों ने (स्थिर मूल्य पर) 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में क्रमश: 0.6%, 0.2%, 9.7%, 13.8%, 13.0% एवं 2.9% की वृद्धि हुई ।

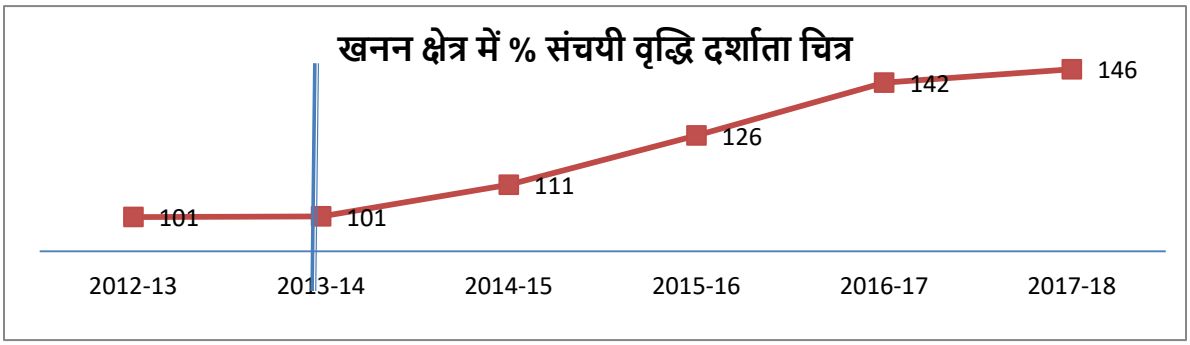

- इसके अतिरिक्त, भारत में खनिज उत्पादन में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रमुख खनिजों के उत्पादन में, मूल्य के मामलों में, पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 15.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 में, खनिज उत्पादन में, मूल्य के मामलों में, 23.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में मूल्य के मामले में मुख्य योगदान धात्विक वर्ग में लौह अयस्क (36.3%) और मैंगनीज अयस्क (22.9%) का और गैर-धात्विक वर्ग में लाइमस्टोन (10.8%) का रहा है।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए उत्पादन आंकड़े

(मूल्य करोड़ रूपए में)

खनिज	इकाई	संचयी पूर्व वर्ष		संचयी चालू वर्ष		मात्रा में वृद्धि (%में)	मूल्य में वृद्धि (%में)
		अप्रैल, 16-मार्च, 17(पी)		अप्रैल,17-मार्च,18(पी)			
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		
सभी खनिज		**	**47431.82**	**	**58535.10**		23.41
बॉक्साइट	मिलियन टन	24.66	1417.04	22.23	1498.17	-9.86	5.72
क्रोमाइट	मिलियन टन	3.73	3643.83	3.44	3173.37	-7.77	-12.91
ताम्र सांद्र	मिलियन टन	0.14	640.35	0.14	762.79	4.78	19.12
लौह अयस्क	मिलियन टन	192.08	25138.87	200.95	34262.06	4.62	36.29
सीसा सांद्र	मिलियन टन	0.27	966.92	0.31	1135.20	14.27	17.40
मैंगनीज अयस्क	मिलियन टन	2.39	1602.66	2.58	1969.82	7.96	22.91
जिंक सांद्र	मिलियन टन	1.48	4338.56	1.54	4971.68	3.64	14.59
अन्य धात्विक खनिज		**	2269.06	**	2594.57		14.35
कुल धात्विक		**	**40017.29**	**	**50367.66**		25.86
चूना पत्थर	मिलियन टन	313.20	6688.38	337.23	7410.75	7.67	10.80
मैगनेसाइट	मिलियन टन	0.30	73.57	0.20	50.39	-34.81	-31.50
फास्फोराइट	मिलियन टन	1.18	389.47	1.53	377.16	29.88	-3.16
सिलिमेनाइट	मिलियन टन	0.07	53.41	0.08	66.62	19.14	24.73
वॉलेस्टोनाइट	मिलियन टन	0.17	15.89	0.15	12.67	-7.90	-20.28
अन्य गैर–धात्विक		**	193.81	**	249.86		28.92
कुल गैर– धात्विक		**	**7414.53**	**	**8167.45**		10.15

स्रोत: आईबीएम; (पी) : अनंतिम

** वृद्धि नहीं

आवश्यकतानुसार आंकड़ों का आकलन किया गया है।

2. खनिज नीतिगत रूपरेखा और नवीनतम सुधार

एमएमडीआर अधिनियम संशोधन

- भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनिमयन) (एमएमडीआर) अधिनियम को संशोधित किया है, जो भारत में खनिज क्षेत्र को शासित करने वाला प्रधान अधिनियम हैं। यह संशोधन 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ है। जिसके फलस्वरूप खनन विनियमों में निम्नलिखित प्रमुख आमूल परिवर्तन किए गए हैं-

    - नीलामियों की माफर्त खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं ताकि पारदर्शिता लाई जा सके एवं विवेकाधिकार समाप्त किया जा सके।
    - **डीएमएफ:** खनन द्वारा प्रभावित लोगों की दीर्घकालीन शिकायतों के समाधान हेतु जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)।
    - **एनएमईटी:** क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास।
    - 50 वर्षों के लिए खनन पट्टे - विद्यमान पट्टों की समय अवधि बढ़ाई गई मानी गई।
    - अवैध खनन की रोकथाम के लिए कठोर दण्ड प्रावधान - प्रति हैक्टे. क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपए तक उच्चतर जुर्माना तथा 5 वर्ष तक कारावास की अवधि बढ़ाना ।
- पट्टा क्षेत्र की समुचित परिभाषा तथा ग्रहीत पट्टों, जिन्हें नीलामी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, के अंतरण की अनुमति देने के लिए 2016 में इस अधिनियम में पुन: संशोधन किए गए हैं।
- मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के अधीन खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने हेतु आवश्यक नियम अर्थात खनिज (खनिज अर्न्तवस्तु का साक्ष्य) नियम और खनिज (नीलामी) नियम मंत्रालय द्वारा तत्काल बाद अधिसूचित किए गए। **मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रियों में शीघ्रता लाने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए 'मॉडल' निविदा दस्तावेज भी तैयार किए हैं।**
- **खनिज नीलामी नियम नवम्बर, 2017 में संशोधित किए गए ।** इससे नीलामी प्रक्रियाएं कम जटिल होंगी तथा राज्यों को शीघ्रता से खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने में सहायता मिलेगी । परिवर्तन एवं इनके प्रभाव मौटे तौर पर नीचे दर्शाए गए हैं :
    - पुराने नियमों में नीलामी प्रक्रिया, 3 से कम बोलीदाता होने पर रद्द हो जाती थी और इस प्रक्रिया में कम से कम 3 प्रयास करने पडते थे। यद्यपि अब नीलामी के प्रथम प्रयास में न्यूनतम 3 बोलीदाताओं का प्रावधान हैं किंतु अब राज्यों के पास द्वितीय प्रयास में 3 से कम बोलीदाता होने पर भी ब्लॉक को आवंटित करने का विकल्प है।
    - पहले राज्य उत्पादित खनिजों के 100% उपभोग की मांग करने वाले खनिकों पर अंत्य उपयोग की शर्तें निर्धारित करते थे। अब- ऐसे खनिक ऐसे 25% खनिजों का निपटान कर सकेंगे जिनका पिछले वर्षों के उत्पादन के आधार पर कैप्टिव प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।
    - संशोधित नियमों में यथाशीघ्र खनिकों के देय भुगतानों के लिए समायोजित किए जाने वाले अपफ्रंट प्रीमियम के समायोजन का भी प्रावधान किया गया है।
    - संभावित बोलीदाताओं के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता को कम कर दिया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से 2 करोड़ रूपए तक के औसत वार्षिक उत्पादन के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता 4 करोड़ रूपए थी, जिसे घटाकर 0.5

करोड़ रूपए कर दिया गया है। 20 करोड़ रूपए तक के औसत वार्षिक उत्पादन के लिए 40 करोड़ रूपए के निवल मूल्य की आवश्यकता थी जिसे घटाकर 10 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

- छोटे बोलीदाताओं के लिए गैर-बाधायुक्त अचल संपत्ति के मूल्य को भी निवल मूल्य में शामिल किया जाएगा, इस प्रकार अधिक संख्या में भागीदारी की अनुमति दी गई है।
- बोली लगे पट्टों पर अवैध रूप से बने रहने को निरूत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आशय पत्र वैधता की अवधि 3 वर्षों तक सीमित की गई है, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा केवल 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

- **1 अप्रैल, 2019 से पूर्व जी 2 स्तरीय गवेषण आरंभ करने के लिए 2020 में समाप्त होने वाले खनन पट्टों के पट्टेदारों को आदेश देकर 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्च, 2018 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमों में संशोधन किया गया। जी2 स्तरीय गवेषण करने के लिए आशोधित खनन योजना को आईबीएम के अनुमोदन से तैयार करना अनिवार्य है।**

राष्ट्रीय खनिज नीति

खान मंत्रालय, एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति **(एनएमपी)** की घोषणा करने की प्रक्रिया में है जिसे विद्यमान एनएमपी 2008 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य [रिट याचिका (सि) सं.114/2014] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में विद्यमान एनएमपी 2008 की समीक्षा पर विचार किया है जिसके लिए मंत्रालय ने डॉ. के. राजेश्वर राव, अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति गठित की।

हालांकि नई एनएमपी प्रक्रियाधीन है, विद्यमान एनएमपी की समीक्षा करने के लिए गठित समिति द्वारा मसौदा एनएमपी की सिफारिश की गई जिसे जन सामान्य तथा अन्य पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्लेटफार्म पर डाला गया ।

"संसाधन के इष्टतमीकरण एवं विकास" संबंधी एनएमपी दस्तावेज के इस मसौदे की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं:

- "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत, खनिज क्षेत्र में खनिज/अयस्क आपूर्ति पर निर्भर डाउन स्ट्रीम उद्योग निर्भरता की मांग को पूरा करने के लिए सतत् आधार पर समग्र विकास करने की आवश्यकता है।
- मेक इन इंडिया पहल पर जोर देने के साथ, खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, खनिजों का दोहन और प्रबंधन दीर्घावधिक राष्ट्रीय लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य के

अनुसार करना होगा तथा देश के आर्थिक विकास की समग्र कार्यनीति में इसे शामिल करना होगा।

- निर्धारित समय के भीतर प्रकृति द्वारा प्रदत्त खनिजों के प्रचुर संसाधनों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग किया जाएगा।
- उन संसाधनों के पूर्वेक्षण एवं दोहन का विशिष्ट ध्यान रखा जाएगा जिनके लिए देश आयातों पर निर्भर है। ।
- ऐसे खनिज संसाधनों के दोहन पर जोर दिया जाएगा जो देश में प्रचुरता से उपलब्ध हैं, जिससे कि वर्तमान और भविष्य, दोनो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ ही इन खनिजों के लिए बाहर विपणन की मांग को भी पूरा किया जा सके जिससे कि घरेलू आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो ।
- सरकार खनन क्षेत्र में सतत विकास हेतु यह सुनिश्चित करेगी कि खनन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो, पर्यावरणीय, तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त हो, विकास हेतु दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित, खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग और खानबंदी पश्चात भूमि के उपयोग को सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय खनन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार के लिए मानव संसाधनों का विकास मुख्य आधार हो।
- मौजूदा तथा नई खनन इकाईयों के लिए मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण तथा अत्याधुनिक तकनीक के अभिग्रहण तथा स्वचालन पर विशेष बल दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मानव विकास संसाधन रणनीति को उपयुक्त रूप से पुन: अनुकूल बनाया जाएगा।
- खनन क्षेत्र की शुरूआत के साथ देश में अधिकाधिक खनन अभियंताओं, भूवैज्ञानिकों, भू-भौतिकविदों, भू-रासायनिज्ञों, भू-उपकरण विशेषज्ञों, साफ्टवेयर विशेषज्ञों आदि की आवश्यकता होगी।
- राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि निष्कासित किए गए खनिजों का पूर्ण मूल्य राज्य द्वारा प्राप्त किया गया हो।
- एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का गठन किया जा सकता है जो खनन कार्यकलापों के विस्तार की अनुमोदित सीमा को भी निर्धारित करे तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों के वार्षिक उत्खनन की क्षेत्रवार/राज्यवार सीमा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर विमर्श, क्षेत्र की उत्पादक क्षमता तथा अन्य सभी संगत तथ्यों के साथ अंतरपीढीय न्याय संगतता और सतत विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र पर सूक्ष्म पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विस्तृत अध्ययन शामिल हों।

3. खनिज ब्लॉकों की रियायतें प्रदान करने के लिए नीलामी व्यवस्था (15.06.2018 को अद्यतन)

- खनन पट्टों/पीएल-सह-एमएल की नीलामी के कार्यान्वयन हेतु हेंड होल्डिंग-सहयोग प्रदान करने के संबंध में खान मंत्रालय ने अपने संस्थानों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एसवीआईसीएपी), एमईसीओएन लिमिटेड तथा एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों को लेनदेन सलाहकार सेवाओं, विभिन्न वैश्विक पोजिशनिंग प्रणाली (डीजीपीएस) सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) तैयारी तथा ई-नीलामी प्लेटफार्म हेतु हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान की है।
- कुल 86 प्रमुख खनिज ब्लॉकों को 9 राज्यों में नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है।
- 11.06.2018 सफलतापूर्वक नीलामी किए गए कुल ब्लॉक = 41 ब्लॉक
- नीलाम संसाधनों का अनुमानित मूल्य = 1,86,967 करोड़ रू. से अधिक।
- पट्टावधि के दौरान राज्य सरकारों को कुल अनुमानित राजस्व = 1,48,197 करोड़ रू.
- नीलामी से अतिरिक्त योगदान = 1,15,050 करोड़ रू.
- रॉयल्टी = 29,596 करोड़ रू.
- डीएमएफ योगदान = 2,960 करोड़ रू.
- एनएमईटी योगदान = 592 करोड़ रू.
- खनिज नीलामी (संशोधन) नियम को 30.11.2017 को अधिसूचित किया गया जो देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देगा।
- वर्ष 2018-19 तक राज्यों द्वारा 102 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए प्रक्रियाधीन है।
- 11.06.2018 की स्थितिनुसार देश में 41 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई और 22 खनिज ब्लॉक विविध स्तरों पर नीलामी प्रक्रिया में है। खनिज ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा निम्न है:

राज्य	नीलाम किए गए ब्लॉकों की सं.	एनआईटी चालू
आंध्र प्रदेश	3 चूना-पत्थर ब्लॉक	7 ब्लॉक (6 चूना-पत्थर, 1 स्वर्ण)

छत्तीसगढ़	5 ब्लॉक (4 चूना–पत्थर, 1 स्वर्ण)	–
गुजरात	3 चूना–पत्थर ब्लॉक	-
झारखंड	4 ब्लॉक (2 चूना–पत्थर, 2 स्वर्ण)	4 ब्लॉक (3 ग्रेफाइट, 1 लौह अयस्क)
कर्नाटक	7 लौह अयस्क ब्लॉक	8 लौह अयस्क ब्लॉक
मध्य प्रदेश	6 ब्लॉक (3 चूना–पत्थर, 1 ग्रेफाइट, 1 लौह अयस्क, 1 हीरा)	–
महाराष्ट्र	3 ब्लॉक (1 चूना–पत्थर, 1 मैंगनीज, 1 बॉक्साइट)	–
ओडिसा	5 ब्लॉक (3 लौह अयस्क, 1 चूना–पत्थर, 1 मैंगनीज)	2 लौह अयस्क ब्लॉक
राजस्थान	5 चूना–पत्थर ब्लॉक	1 चूना–पत्थर ब्लॉक
कुल	**41 ब्लॉक** (22 चूना–पत्थर, 11 लौह अयस्क, 3 स्वर्ण, 2 मैंगनीज, 1 ग्रेफाइट, 1 बॉक्साइट, 1 हीरा)	**22 ब्लॉक** (11 लौह अयस्क, 7 चूना–पत्थर, 3 ग्रेफाइट, 1 स्वर्ण)

- **खनिज नीलामियों का राज्य–वार विवरण**

राज्य	कुल संसाधन	कुल राजस्व	राज्यों का प्रीमियम
ओडिसा (5)	41,782	31,726	24,923
कर्नाटक (7)	30,929	34,353	29,157
छत्तीसगढ़ (4)	21,593	27,194	22,165
राजस्थान (5)	40,617	30,034	22,195
गुजरात (3)	35,277	16,202	9,469
महाराष्ट्र (3)	2,237	3,062	2,655
आंध्र प्रदेश (3)	1,808	494	159
झारखंड (4)	3,759	866	706
मध्य प्रदेश (6)	3,625	4,267	3,621

- **खनिज नीलामियों का राज्य–वार विवरण**

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
नीलाम ब्लॉकों की सं.	6	15	14	6	**41**

खनिज	4 चूना-पत्थर, 1 लौह अयस्क, 1 स्वर्ण	7 लौह अयस्क, 5 चूना-पत्थर, 1 मैंगनीज, 1 हीरा, 1 स्वर्ण	10 चूना-पत्थर, 2 लौह अयस्क, 1 स्वर्ण, 1 बॉक्साइट	3 चूना-पत्थर, 1लौह अयस्क, 1 ग्रेफाइट, 1 मैंगनीज	**41 ब्लॉक** (22 चूना-पत्थर, 11 लौह अयस्क, 3 स्वर्ण, 2 मैंगनीज, 1 ग्रेफाइट, 1 बॉक्साइट, 1 हीरा)
संसाधनों का अनुमानित मूल्य (करोड़ रू. में)	29,817.72	63,372.56	90,136.20	3,640.43	**1,86,966.90**
नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त योगदान (करोड रू. में)	13,032.23	44,501.74	53,850.14	3,665.63	**1,15,049.74**
रॉयल्टी (करोड रू. में)	4,565.44	9,564.42	14,895.90	570.08	**29,595.84**
डीएमएफ (करोड रू. में)	456.54	956.44	1,489.59	57.01	**2,959.58**
एनएमईटी (करोड रू. में)	91.31	191.29	297.92	11.40	**591.92**
कुल रॉयल्टी + डीएमएफ + एनएमईटी (सांविधिक भुगतान) (करोड रू. में)	5,113.30	10,712.15	16,683.41	638.49	**33,147.34**
50 वर्षों से अधिक सरकार को कुल राजस्व (करोड रू. में)	18,145.53	55,213.88	70,533.55	4,304.13	**1,48,197.09**

- देश भर में सफलतापूर्वक नीलामी में रखे गए 41 ब्लॉकों के परिणामों का सारांश दर्शाता है कि 1,86,967 करोड़ रूपए के अनुमानित मूल्य के संसाधनों सहित खनिज का निपटान पारदर्शी तरीके से किया गया है।

- जैसा कि मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गई थी ई-नीलामी की सफलता ने न केवल नीलामी स्कीम पर अनुमोदन की मोहर लगाई है अपितु यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्यों के राजकोष में रॉयल्टी के माध्यम से एकत्रित राशि की तुलना में पर्याप्त रूप से अतिरिक्त अधिक राजस्व उपलबध कराएगा।
- राज्यों द्वारा नीलामी के लिए रखे गए कुछ खनिज ब्लॉकों को बोलीदाताओं की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण रदद कर दिया गया था। इसके कारणों में खराब खनिजीकरण/खनिज अयस्कों की श्रेणी, प्रतिकूल मांग-आपूर्ति परिदृश्य, खनिज ब्लॉकों के लिए अंत्य उपयोगी आरक्षणों का अधिरोपण, अनुपयुक्त भूमि स्वामित्व प्रणाली, उच्च आरक्षित मूल्य एवं भुगतान शर्ते शामिल है।
- **वर्ष 2018-19 में प्रक्रियाधीन नीलामी ब्लॉक**

राज्य	2018-19
आंध्र प्रदेश	-
छत्तीसगढ़	11 (7 बॉक्साइट, 4 चूना-पत्थर,)

गुजरात	8 ब्लॉक (5 चूना-पत्थर ब्लॉक, 3 बॉक्साइट)
झारखंड	20 ब्लॉक (6 ग्रेफाइट, 4 चूना-पत्थर, 3 बॉक्साइट, 2 लौह अयस्क, 2 इमरालड, 1 मैंगनीज, 1 कॉपर, 1 डोलोमाइट/ चूना-पत्थर,)
कर्नाटक	8 ब्लॉक (7 मैंगनीज एवं लौह अयस्क, 1 लौह अयस्क)
मध्य प्रदेश	13 ब्लॉक (6 चूना-पत्थर, 3 जिंक, 2 स्वर्ण, 1 बॉक्साइट, 1 मैंगनीज)
महाराष्ट्र	13 ब्लॉक (6 बॉक्साइट, 3 चूना-पत्थर, 2 कॉपर, 1 लौह अयस्क, 1 मैंगनीज)
ओडिसा	8 ब्लॉक (3 चूना-पत्थर, 2 लौह अयस्क, 1 मैंगनीज, 1 बॉक्साइट, 1 लौह अयस्क एवं मैंगनीज)
राजस्थान	15 ब्लॉक (10 चूना-पत्थर, 4 कॉपर, 1 कॉपर एवं एसोसिएटिड धातु)
तमिलनाडु	3 मोलिबेडनम ब्लॉक
तेलांगाना	3 चूना-पत्थर ब्लॉक
कुल	102 ब्लॉक (38 चूना-पत्थर, 21 बॉक्साइट, 8 लौह अयस्क एवं मैंगनीज, 6 लौह अयस्क, 7 कॉपर, 6 ग्रेफाइट, 4 मैंगनीज, 3 जिंक 3 मोलिबेडनम, 2 इमरालड, 2 स्वर्ण, 1 कॉपर एवं ऐसोसिएटिड धातु, 1 डोलोमाइट/ चूना-पत्थर)

- **जीएसआई एवं एमईसीएल द्वारा (जी2 स्तर तथा कुछ जी3 स्तर) विस्तृत गवेषण भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) तैयार की गई तथा नीलामी हेतु राज्यों को हस्तांतरित की गई**

राज्य	2014-15, 2015-16 और 2016-17 के कार्यसत्र कार्यक्रम के दौरान जीएसआई द्वारा सौंपे गए जीआरएस	2016-18 के दौरान एमईसीएल द्वारा सौंपे गए जीआर एस
आंध्र प्रदेश	4 ब्लॉक (2 चूना-पत्थर, 1 बॉक्साइट, 1 ग्रेफाइट)	-
छत्तीसगढ़	7 ब्लॉक (3 बॉक्साइट, 3 चूना-पत्थर, 1 स्वर्ण)	1 चूना-पत्थर ब्लॉक
गुजरात	3 ब्लॉक (2 चूना-पत्थर, 1 बॉक्साइट)	-
हरियाणा	3 आधार धातु ब्लॉक	-
हिमाचल प्रदेश	1 आधार धातु ब्लॉक	-
झारखंड	2 बॉक्साइट ब्लॉक	1 कॉपर ब्लॉक
कर्नाटक	14 ब्लॉक (7 स्वर्ण, 4 बॉक्साइट, 1 चूना-पत्थर, 1 लौह अयस्क, 1 कॉपर बेस धातु)	4 स्वर्ण ब्लॉक
केरल	1 बॉक्साइट ब्लॉक	-
मध्य प्रदेश	17 ब्लॉक (7 स्वर्ण, 6 बेस धातु, 2 मैंगनीज, 1 चूना-पत्थर, 1 ग्रेफाइट)	4 ब्लॉक (3 चूना-पत्थर, 1 Pb-Cu-Zn)
महाराष्ट्र	9 ब्लॉक (3 बॉक्साइट, 3 आधार धातु, 1 टंगस्टन, 1 मैंगनीज, 1 कॉपर एवं एसोसिएटिड खनिज)	2 ब्लॉक (1 टंगस्टन, 1 कॉपर)
मेघालय	7 चूना-पत्थर ब्लॉक	-
ओडिसा	16 ब्लॉक (8 लौह अयस्क, 5 मैंगनीज, 3 बॉक्साइट)	1 लौह अयस्क ब्लॉक

राजस्थान	30 ब्लॉक (14 बेस धातु, 10 स्वर्ण, 2 जस्ता एवं जिंक, 1 चूना-पत्थर, 1 चांदी, 1 कॉपर एवं जिंक, 1 टंगस्टन एवं लिथियम)	-
तमिलनाडु	4 ब्लॉक (2 मोलिबेडनम, 1 चूना-पत्थर, 1 पीजीई)	4 मोलिबेडनम ब्लॉक
तेलंगाना	3 ब्लॉक (2 स्वर्ण, 1 लौह अयस्क)	3 चूना-पत्थर ब्लॉक
उत्तर प्रदेश	3 एनडल्यूसाइट ब्लॉक	-
कुल	**124 ब्लॉक (27 बेस धातु, 27 स्वर्ण, 18 बॉक्साइट, 18 चूना-पत्थर, 10 लौह अयस्क, 8 मैंगनीज, 3 एनडूलसाइट, 2 ग्रेफाइट, 2 जिंक एवं जस्ता, 2 मोलिबेडनम, 1 कॉपर बेस धातु, 1 टंगस्टन, 1 कॉपर एवं एसोसिएटिड खनिज, 1 चांदी, 1 कॉपर एवं जिंक, 1टंगस्टन एवं लिथियम, 1 पीजीई)**	**20 ब्लॉक (7 चूना-पत्थर, 4 स्वर्ण, 4 मोलिबेडनम, 2 कॉपर, 1 लौह अयस्क, 1 टंगस्टन, 1 Pb-Cu-Zn)**

- **नीलामी के बाद हैण्डहोल्डिंग** – खनन शुरू करने के लिए अपेक्षित शीघ्र मंजूरी और अनुमोदन के लिए सफल बोलीदाता को सुविधा देने के लिए प्रमुख पणधारी सरकारी संगठनों का अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) तैयार किया गया । गठित आईएमजी-नीलामी के बाद खनन और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) को पुन: पारदर्शी, नीलामी मॉनीटरिंग एवं संसाधन संवर्धन (ताम्र) का नाम दिया गया।
  - ई-नीलामी के जरिए खनिज ब्लॉक आवंटित करने के पश्चात् अपेक्षित विभिन्न मंजूरी/अनुमोदनों को सुविधाजनक बनाने तथा शीघ्र करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह अर्थात नीलामी के बाद खनन और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) गठित की गई।
  - पीएएमसीएएफ के तहत् मंजूरी की मॉनीटरिंग और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई। मोबाइल प्लेटफार्म पर भी ऑनलाइन प्रणाली काम करेगा तथा मंजूरी और अनुमोदन की प्रभावकारी मॉनीटरिंग को समर्थ करेगा।

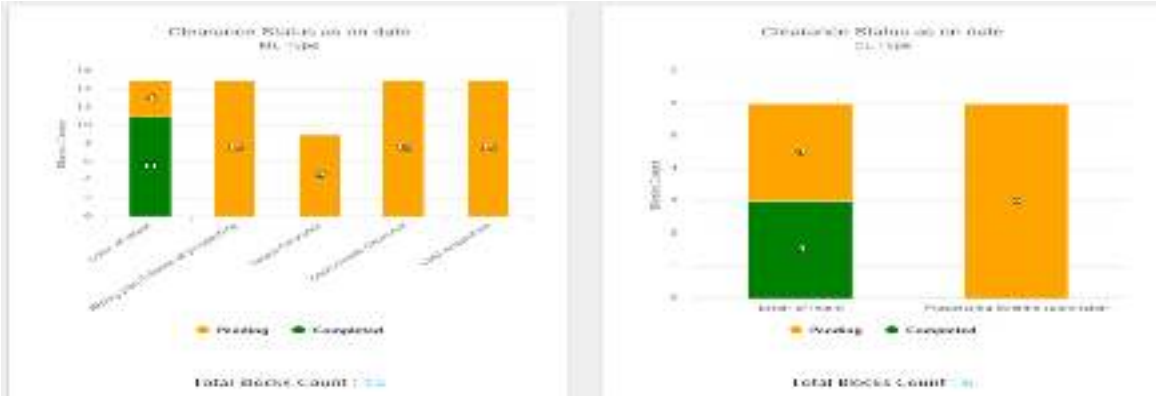

ऑनलाइन पोर्टल: ताम्र –मंजूरियों व अनुमोदनों की निगरानी

4. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन

- डीएमएफ का उद्देश्य समावेशी वृद्धि के लिए खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की दीर्घ कालीन शिकायतों का समाधान करना है। डीएमएफ को अंशदान विद्यमान खनिकों द्वारा रॉयल्टी को अतिरिक्त 30% तथा 12.01.2015 से एमएमडीआर संशोधन के पश्चात अनुदत्त खानों के खनिकों द्वारा 10% है। प्रमुख खनिज राज्यों के लिए डीएमएफ का वार्षिक बजट 6000 करोड़ रू. होगा।
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को तैयार की है जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशनों (डीएमएफ) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसे 16.09.2015 को केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 20क के अंतर्गत दिशा-निर्देश के रूप में जारी किया गया है।
- पीएमकेकेकेवाई में पेयजल/पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण/स्वास्थ्य देखभाल/शिक्षा कौशल विकास/महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों का कल्याण/स्वच्छता जैसे **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली निधि का 60% अनिवार्य किया गया है।**
- **अवस्थापना-सड़कें तथा भौतिक अवसंरचना/ सिचाई/वारटशेड विकास के लिए निधि के 40% का उपयोग किया जाएगा।** पीएमकेकेकेवाई के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं अनुकूल खनन वातावरण, प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार तथा पणधारियों के लिए विन-विन स्थिति सृजित करने में सहायक होंगे।
- पीएमकेकेकेवाई स्कीम का उद्देश्य (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याण परियोजना/कार्यक्रम जो राज्य तथा केंद्र सरकार की मौजूदा चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक हैं, कार्यान्वित करना; (ख) खनन के दौरान तथा उसके पश्चात खनन जिले में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजार्थिक पर प्रतिकूल प्रभाव को कम/न्यून करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधिक सतत् आजीविका को सुनिश्चित करना ।
- डीएमएफ की शीघ्र स्थापना राज्य सरकारों के हित में है जिससे कि इन निधियों को प्राप्त किया जा सके और पीएमकेकेकेवाई स्कीम द्वारा निर्धारित इन क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया जा सके। ये कल्याण गतिविधियों स्थानीय लोगों में खनन उद्योग के प्रति अच्छी साख सृजित करने में सहायक होगी।
- एमएमडीआर अधिनियम में शामिल की गई नई धारा 15क के तहत गौण खनिजों के लिए डीएमएफ गठित करने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है।
- पीएमकेकेकेवाई अधिसूचना में प्रत्येक फाउंडेशन के बारे में निदेश दिया गया है कि यह वेबसाइट तैयार तथा उसका रख रखाव करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी और उसे अद्यतन रखा जाएगा:-
  - (i) डीएमएफ का संघटन/डीएमएफ निकायों का विवरण (यदि कोई हो)।
  - (ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची ।
  - (iii) पट्टाधारकों और अन्यों से प्राप्त सभी योगदानों की तिमाही विवरण ।
  - (iv) डीएमएफ की सभी बैठकों का एजेंडा, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)
  - (v) वार्षिक योजना और बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट ।

(vi) चालू कार्यों की ऑनलाइन स्थिति- कार्य का विवरण, लाभार्थियों का विवरण, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, कार्य को शुरू और पूरा करने की संभावित तारीख, पिछली तिमाही तक वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि सहित, पीएमकेकेकेवाई के तहत की जा रही सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन स्थिति/प्रगति, वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी ।

(vii) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की सूची ।

(viii) आरटीआई अधिनियम के तहत स्वैच्छिक खुलासा।

- हमारे देश में जिलों के कार्यक्षम और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय सरकार (पंचायती राज्य संस्थानों/म्यूनिसिपल निकायों) में चुने गए सभी प्रतिनिधियों में सही समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला विकास समन्वय और मॉनीटरिंग समिति (दिशा) द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं। ये समितियां निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकती है और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और सम्मिलन को बढ़ावा देगी । 'दिशा' में भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक स्कीमों को कवर किया जाएगा जो सामान्यत: नियंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेकेकेवाई को ऐसे 41 कार्यक्रमों की सूची में जोड़ा गया है।
- दिनांक 28.09.2016 को आयोजित **प्रगति** बैठक के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों को पीएमकेकेकेवाई की मॉनीटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाने का निदेश दिया गया । प्रांरभ में एनआईएसजी के ज़रिए एक स्टैंडअलोन पोर्टल विकसित किया गया, जो राज्य सरकारों द्वारा हैंडलिंग एकल एप्लीकेशन की सरलता में डाटा इनपुट में ओवरलैप के कारण एमटीएस के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया।
- तदनुसार 26.10.2017 को आयोजित कोर समिति की बैठक में एमटीएस- विप्रो लि. की आईए (IA) द्वारा चरण-I मॉडयूल की समय सीमा के अनुसार परिवर्तन करने के अनुरोध के तहत पीएमकेकेकेवाई की मॉनीटरिंग संबंधी पोर्टल विकसित करने पर सहमति मिली। पीएमकेकेकेवाई एक प्रमुख मॉडयूल है तथा इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग सीधे ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा के पास अपने खुद के कार्यात्मक पोर्टल है जिसे मुख्य पोर्टल में समाकलित किया जाएगा। मंत्रालय तथा 11 प्रमुख खनिज प्रचुर राज्य सरकारों को पीएमयू उपलब्ध करने के लिए एनआईएसजी के साथ पहले ही समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं
- इसके अतिरिक्त पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकारों के द्वारा नॉडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- 30.04.2018 की स्थिति अनुसार 18,720 करोड़ रूपए एकत्र किए गए।
- राज्यों द्वारा यथासूचित डीएमएफ संग्रहण का विवरण।

क्र.	राज्य	डीएमएफ	क्या डीएमएफ	कुल	कुल जिलों की	डीएमएफ की स्थापना	कोयला	गौण	प्रमुख	डीएमए

सं.		आंकड़ें की तारीख	के लिए नियम अधिसूचित किए गए		जिलें	संख्या जिनमें डीएमएफ स्थापित किए गए हैं	की तारीख		और लिग्नाइट के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.)	खनिजों के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.)	खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोडकर) के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.)	फ के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि (करोड़ रू.)
			प्रमुख खनिज के लिए	गौण खनिज के लिए			प्रमुख खनिज के लिए	गौण खनिज के लिए				
1	आंध्र प्रदेश	30.04.2018	हां	हां	13	13	27.06.2015	27.06.2015	0	224	244	468
2	छत्तीसगढ	30.04.2018	हां	हां	27	27	02.1.2016	02.01.2016	1609	78	1059	2746
3	गोवा	30.04.2018	हां	N/A	2	2	15.1.2016	N/A	N/A	Nil	180	180
4	गुजरात	30.04.2018	हां	हां	33	32	01.04.2016	01.04.2016	60	112	179	351
5	झारखंड	30.04.2018	हां	हां	24	24	23.03.2016	13.01.2017	2207	51	486	2743
6	कर्नाटक	30.04.2018	हां	हां	30	30	11.01.2016	12.08.2016	0	130	852	982
7	महाराष्ट्र	30.04.2018	हां	हां	36	35	01.09.2016	01.09.2016	408	186	122	716
8	मध्य प्रदेश	30.04.2018	हां	N/A	51	51	15.05.2015	N/A	1325	0	307	1632
9	ओडिशा	30.04.2018	हां	हां	30	30	18.08.2015	18.08.2015	1526	21	2906	4453
10	राजस्थान	30.04.2018	हां	हां	33	33	31.05.2016	31.05.2016	51	221	1733	2005
11	तेलंगाना	30.04.2018	हां	हां	31	30	17.9.2015	17.9.2015	1226	238	158	1622
12	तमिलनाडू	30.04.2018	हां	हां	32	30	19.05.2017	19.05.2017	87	50	133	269
उप योग					342	337			**8498**	**1311**	**8359**	**18168**
9 अन्य प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के लिए डीएमएफ आंकडे (स्रोत : राज्य सरकारें)												
1	असम	30.04.2018	नही	नही	32	26	26.08.2016	26.08.2016	59	1	9	69
2	बिहार	30.04.2018	हां	नही	38	जिलो को डीएमएफ़ की स्थापना हेतु सुचित किया गया है।	10.10.2017	10.10.2017	**N/a**	**20**	**0**	**20**
3	हिमाचल प्रदेश	30.04.2018	हां		12	12	22.08.2017	22.08.2017	**0**	**5**	**74**	**79**
4	जम्मू और कश्मीर	30.04.2018	हां	हां	22	20	11.01.2017	11.01.2017	**0**	**5**	**9**	**15**

5	केरल	30.04.2018	नही	नही	14	NP	NP	NP	**0**	**0**	**5**	**5**
6	मेघालय	31.01.2018	नही	नही	11	NP	NP	NP				**NP**
7	उत्तराखंड	30.04.2018	हां	हां	13	13	17.11.2017	17.11.2017	**0**	**13**	**0**	**13**
8	उत्तर प्रदेश	30.04.2018	हां	हां	75	75	15.05.2017	15.05.2017	**209**	**103**	**18**	**330**
0	पश्चिमी बंगाल	30.04.2018	हां	हां	23	20	29.07.2017	29.07.2017	**8**	**13**	**0**	**21**
उप योग					240	168			**276**	**160**	**116**	**552**
कुल योग					**582**	**505**			**8774**	**1471**	**8475**	**18720**

एनपी= आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

- शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है-

पीएमकेकेकेवाई कार्यान्वयन: परियोजनाओं हेतु आबंटित राशि और व्यय की गई राशि

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**योजना /परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा**	**अलग-अलग लाभार्थियों की संख्या जिनकी सहायता की गई (ओडीएफ, प्रशिक्षणार्थि, अन्य**	**आवंटित राशि (करोड़ रूपए में)**	**व्यय की गई राशि (करोड़ रूपए में)**
1.	आंध्र प्रदेश	विभिन्न समुदायों एवं अवसंरचना परियोजना के लिए 1149 कार्यों की पहचान की गई है।	**समुदाय हित के लिए परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है:-** 1. पेयजल आपूर्ति 2 आंगनवाडी केंद्रों का निर्माण 3. पूर्ण सज्जित एम्बुसों की आपूर्ति 4. अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान **अवसंरचना परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :** 1. सड़कों का निर्माण 2. सौर पैनलों की आपूर्ति	ओडीएफ लाभार्थी- लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	28.28	5.88
2.	छत्तीसगढ़	28594	1. पेयजल आपूर्ति 2. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय 3. स्वास्थ्य 4. शिक्षा 5. वृद्ध एवं बाल कल्याण 6. कृषि 7. वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण 8. कौशल विकास 9. स्वच्छता 10. भौतिक अवसंरचना 11. सिचाई 12. ऊर्जा एवं वाटर शैड विकास	ओडीएफ लाभार्थी -8851 प्रशिक्षणार्थी-1799 अन्य -950304	3341.69	1696.76

			13. अन्य			
3	गोवा	प्रक्रियाधीन	**प्रस्तावित योजनाएं:** 1. दक्षिण गोवा में खनन सड़क कोरिडोर का निर्माण 2. उत्तरी/दक्षिण गोवा के खनन क्षेत्रों में मौजूदा सडकों का चौडीकरण 3. खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं 4. खनन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति 5. खनन क्षेत्रों में कल्याण परियोजनाएं 6. प्रभावित क्षेत्रों में खनन अथवा अन्य गतिविधि द्वारा पुनर्स्थापन	ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी - लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	2873	**उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र- पीएमकेकेकेवाई निधि का कम से कम 60%** क) पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) कौशल विकास ज) स्वच्छता **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- पीएमकेकेकेवाई निधि का कम से 40%** झ) भौतिक अवसंरचना य) सिंचाई ण) ऊर्जा एवं वाटर शैड विकास त) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय	ओडीएफ लाभार्थि- लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	239.59	46.26
5.	झारखंड	1127	क) 790 पेयजल ख) 14 स्वच्छता (ओडीएफ) स्वच्छ भारत अभियान ग) 52 चिकत्सा क्षेत्र घ) 271 अन्य	ओडीएफ लाभार्थी – 245589 प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	1743.68	537.88
6.	कर्नाटक	3822	क) 374 पेयजल आपूर्ति ख) 153 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) 163 स्वास्थ्य सुरक्षा घ) 689 शिक्षा ङ) 188 महिला एवं बाल कल्याण च) 1579 वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) 54कौशल विकास ज) 174 स्वच्छता झ) 316 भौतिक अवसंरचना त) 27 सिचाई थ) 82 ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास द) 23 खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य	ओडीएफ लाभार्थी – 74423 प्रशिक्षणार्थी- 27,998 अन्य –लागू नहीं	615.52	23.33

			उपाय			
7.	महाराष्ट्र	927 स्कीम/परियोजनाएं	1. पेयजल आपूर्ति 2. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय 3. स्वास्थ्य 4. शिक्षा 5. वृद्ध एवं बाल कल्याण 6. कृषि 7. वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण 8. कौशल विकास 9. स्वच्छता 10. भौतिक अवसंरचना 11. ऊर्जा एवं वाटर शैड विकास 12. अन्य	ओडीएफ लाभार्थी – लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी– लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	183.91	40.22
8.	मध्य प्रदेश	6195	**(क)** उच्च **प्राथमिकता वाले क्षेत्र– निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा** **क)** पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य सुरक्षा घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) कौशल विकास ज) स्वच्छता **ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया जाएगा** क) भौतिक अवसंरचना ख) सिंचाई ग) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास घ) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय	ओडीएफ लाभार्थि– लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी– लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	1490.05	403.33
9.	ओडिशा	7443	**(क)** उच्च **प्राथमिकता वाले क्षेत्र– निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा** **क)** पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य सुरक्षा घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) कौशल विकास ज) स्वच्छता **ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया**	ओडीएफ लाभार्थि– लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी– लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	2593.75	527.42

			जाएगा क) भौतिक अवसंरचना ख) सिंचाई ग) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास घ) खनन जिले में पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय ङ) प्रशासनिक खर्च			
10.	राजस्थान	7157	**(क)** उच्च **प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा** **क)** पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य सुरक्षा घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) स्वच्छता **ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया जाएगा** क) भौतिक अवसंरचना ख) सिंचाई ग) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय	ओडीएफ लाभार्थी – लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं	1062.83	129.14
11.	तेलंगाना	880	**(क)** उच्च **प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा** **क)** पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य सुरक्षा घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) कौशल विकास ज) स्वच्छता **ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया जाएगा** क) भौतिक अवसंरचना ख) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास	ओडीएफ लाभार्थी – लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	53.19	14.35
12.	तमिलनाडु	281	**(क)** उच्च **प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा** **क)** पेयजल आपूर्ति ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण	ओडीएफ लाभार्थी – लागू नहीं प्रशिक्षणार्थी – लागू नहीं अन्य –लागू नहीं	14.31	0.51

			नियंत्रण उपाय ग) स्वास्थ्य सुरक्षा घ) शिक्षा ङ) महिला एवं बाल कल्याण च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण छ) कौशल विकास ज) स्वच्छता **ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया जाएगा** क) भौतिक अवसंरचना ख) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय			
	कुल	**60,448**			**11,366.8**	**3425.08**

*कुछ राज्य ओडीएफ के अंतर्गत शौचालय, एक कार्यक्रम में प्रशिक्षु आदि की अलग परियोजनाओं के रूप में लाभ भोगी उन्मुख कार्यकलापों की गणना कर रहे है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि लाभभोगी उन्मुख योजनाएं एक परियोजना के रूप में दर्शाई जाएंगी अर्थात् स्वच्छ भारत को किसी जिला विशेष के लिए अलग परियोजना माना जा सकता है। यदि 12 जिले इसे करते हैं तो उन्हें 12 परियोजना माना जाएगा। लाभभोगियों को अलग से दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी विशेष व्यवसायिक पाठ्यक्रम की एक परियोजना होगी। लाभभोगियों को कॉलम 08 के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। सड़कें जो सार्वजनिक लाभ के लिए होती है, गिनती ना किए जाने के कारण पर दर्शानें की आवश्यकता नहीं है।

- **क्षेत्र तथा उप-क्षेत्रवार-परियोजनाओं की संख्या***

प्राथमिक – क्षेत्र	**गुजरात**	**कर्नाटक**	**झारखंड**	**तेलंगना**	**राजस्थान**	**छत्तीसगढ़**	**मध्य प्रदेश**	**ओडिसा**	**महाराष्ट्र**	**तमिलनाडु**	**आंध्र प्रदेश**
उच्च प्राथमिक क्षेत्र											
पेयजल आपूर्ति	481	374	790	207	676	2862	1516	3525	292	37	0
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय	197	153	0	6	115	327	37	356	2	1	0
स्वास्थ्य देशभाल	580	163	52	19	1124	1627	279	302	61	58	17
शिक्षा	1679	689	0	234	3294	7834	702	1335	14	50	482
महिला एवं बाल विकास	942	188	0	17	263	2806	180	273	221	7	0
वृद्ध तथा निशक्तजन कल्याण	23	1579	0	2	176	94	2		2		186
कौशल विकास	85	54	0	15	0	474	14	37	43	3	0
स्वच्छता	143	174	14	47	423	1164	1097	35	115	17	0
कुल (क)	4130	3374	856	547	6071	17188	3827	5863	750	173	685
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र											

भौतिक अवसंरचना	601	316	0	330	521	5388	1162	935	95	105	464
सिंचाई	84	27	0	0	487	716	57	407	0	0	0
ऊर्जा तथा वाटरशेड विकास	134	82	0	3	3	1782	16	173	2	0	0
आवास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वनारोपण	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0
अन्य	78	23	271		0	201	31	8	2	3	0
कुल (ख)	897	448	271	333	1011	8087	1266	1564	99	108	464
सकल योग (क+ख)	5027	3822	1127	880	7082	25275	5093	7427	849	281	1149

*संबंधित राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार

5. 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी के लिए तैयारी

- एमएमडीआर संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मर्चेंट खनिकों के लिए पट्टा अवधि 2020 में समाप्त हो जाएगी। नीलामी प्रक्रिया काफी पहले शुरू किए जाने की जरूरत है जिससे कि मौजूदा पट्टाधारकों से नए पट्टाधारकों में निर्बाध रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।
- पूर्व में हुई सीसीईसी बैठकों, विडियों कॉन्फ्रेंस एवं अनुरोध पत्रों के द्वारा भी 2020 में समाप्त होने वाले पट्टों की नीलामी और इस संबंध में उठने वाले मुद्दों के लिए कार्य योजना बनाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को इन पट्टों तथा अन्य ब्लॉकों की नीलामी के लिए काफी पहले योजना बनानी चाहिए जिससे कि वर्ष 2020 में मर्चेंट खनिक पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद उत्पादन स्लैक को प्राप्त किया जा सके । अभी तक केवल आंध्र प्रदेश सरकार ने ही कार्य योजना प्रस्तुत की है। इस कार्य योजना को शीघ्रातिशीघ्र खान मंत्रालय, भारत सरकार से साझा किया जा सकता है। राज्यों को 01.07.2019 तक नीलामी शुरू करने की सलाह दी गई है जिससे कि आने वाले नए खनिकों को खान को कार्यशील बनाने के लिए तैयारी हेतु समय मिल सके।
- 2020 में समाप्त होने वाले खनन पट्टों की नीलामी को सुलभ बनाने के लिए 27 मार्च, 2018 को एमसीडीआर में एक संशोधन किया गया है जिसमें मौजूदा पट्टेदारों को 1 अप्रैल, 2019 से पहले संपूर्ण खनिजीकरण क्षेत्र में जी2 स्तरीय गवेषण पूरा करना अनिवार्य किया गया है । जी2 स्तर का गवेषण आरंभ करने के लिए गवेषण योजना को आईबीएम के अनुमोदन से तैयार करना अनिवार्य है।
- 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की स्थिति का राज्यवार संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है जो निम्नलिखित है:

2020 में समाप्त हो रहे राज्य-वार खनन पट्टे

क्र.सं.	राज्य	कार्यशील खानें	गैर-कार्यशील खानें	खानों की कुल सं.	नीलामित खानों की सं.*
1	आंध्र प्रदेश	3	6	9	9
2	गोवा**	0	184	184	उपलब्ध नहीं
3	गुजरात	5	6	11	7
4	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	2
5	झारखंड	5	16	21	18
6	कर्नाटक	8	42	50	33
7	मध्य प्रदेश	1	12	13	2
8	महाराष्ट्र	0	9	9	उपलब्ध नहीं
9	ओडिसा	24	7	31	31
10	राजस्थान	2	2	4	2
कुल		**49**	**285**	**334**	**104**

* 23.05.2018 को आयोजित बैठक में राज्यों द्वारा यथासूचित।

** गोवा में खानों की स्थिति

2020 तक कुल वैध खनन पट्टों की संख्या – 184

1. आरक्षित क्षेत्र अर्थात एल एवं डब्ल्यूएलएस तथा बफर जोन के अंतर्गत आने वाले खनन पट्टे जिनपर खनन नहीं किया जा सकता – कुल 60
2. भविष्य में खनन हेतु तैयार शेष खनन पट्टे – कुल 124
   (क) खनन पट्टों का कभी उपयोग नहीं किया गया – 77
   (ख) खनन पट्टे जो कभी-कभी उपयोग में लाए गए – कुल 47
      I वर्ष 2007 तथा 12 के बीच उपयोग में लाए गए खनन पट्टे – कुल 5
      II वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में उपयोग में लाए गए पट्टे – कुल 1

- एमसीडीआर के नियम 12 क में निर्धारित समयसीमा के अनुसार गवेषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त करने के लिए जरूरी ड्रिल रिग्स की संख्या के संबंध में इन पट्टों की गवेषण आवश्यकताओं का आकलन किया गया है।

2020 में समाप्त हो रहे पट्टों की ड्रिल रिग्स आवश्यकताओं का आकलन

7 माह (जुलाई से जनवरी) के लिए आवश्यक ड्रिल रिग्स की संख्या	कार्यशील पट्टे
1	19
2 से 3	11
4 और इससे अधिक	9
गवेषण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए	10
कुल पट्टे	49

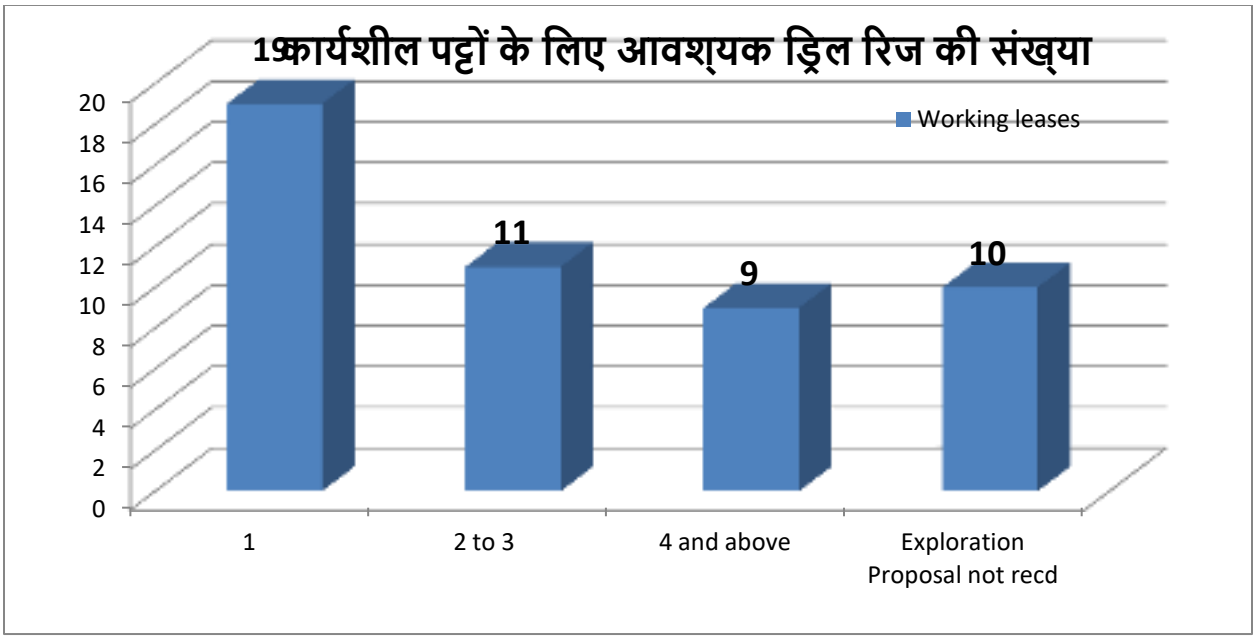

6. गवेषण पर जोर

भारत में विशाल खनिज संसाधन, संपदा है तथा अनेक अन्य अनेक के लिए भूवैज्ञानिक परिवेश उपलब्ध है। भारत, आस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका,

उसी प्रागैतिहासिक भूभाग जिसे गोंडवानालैण्ड के रूप में जाना जाता है, से संबंधित है और इसकी संभावना है कि इन देशों में मात्रा और ग्रेड की दृष्टि से एक ही प्रकार के खनिज संसाधन होंगे। तथापि, पूर्ण क्षमता को खोजने हेतु देश में पर्याप्त सर्वेक्षण एवं गवेषण कार्य नहीं किया गया है।

यह उल्लेख किया जाता है कि जहां तक खनिज संपदा का संबंध है, भारत में ज्यादातर भाग में गवेषण नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर गवेषण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की एजेंसी अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की गतिविधियों पर और जोर दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि यह कार्यकठिन है इसलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु निष्ठापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का चिंतन राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी), राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी) नीति के महत्वपूर्ण पहलों एवं गवेषण कार्य को शुरू करने के लिए अर्हता प्राप्त एजेंसियों की नियुक्ति से स्पष्ट हो जाता है।

खनिज रियायत के अनुदान हेतु अपनाई गई नीलामियों से गवेषण करने का ज्यादा भार सरकार पर आ गया है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के जरिए **एनएमईटी** बनाया गया था जिसमें देश में गवेषण कार्य शुरू करने के लिए खनन पट्टाधारकों से रॉयल्टी के 2% के समतुल्य अतिरिक्त राशि का अंशदान है।

- 398 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 81 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
- निधि की उपयोगिता से संबंधित मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ सुलझाया गया ।
- एनएमईटी नियमों को संशोधित किया गया और 7 मार्च, 2018 को अधिसूचित किया गया।
- वर्ष 2017-18 के दौरान एनएमईटी के तहत अनुमोदित परियोजनाओं (एमईसीएल के 54 परियोजनाएं तथा जीएसआई के राष्ट्रीय हवाई भूभौतिकीय मानचित्रण परियोजना) के लिए 80 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया।
- एनएमईटी निधि के तहत वर्ष 2018-19 में पहले से ही अनुमोदित परियोजनाओं तथा कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के निष्पादन पर व्यय करने हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 400 करोड़ रूपए का अनुमोदित बजट अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिकत, सभी ज्ञात भंडारों के दोहन के कारण गैर बल्क सतही भंडारों की उपलब्धता में लगातार गिरावट हुई, जिसने कई सदियों तक मानव सभ्यता को अनवरत रखा। इसलिए यह गभीरस्थ खनिज संसाधनों को खोजने तथा उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में गवेषण में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है। अन्य देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा अतिरिक्त गवेषण और सज्जीकरण से भंडारों में वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ज्ञांत लौह अयस्क भंडार में 40 वर्षों में 100 गुणा

वृद्धि हुई अर्थात जो 1966 में 400 मिलियन टन था वह बढ़कर 2005 में 40 बिलियन टन हो गया, जबकि भारत के लौह अयस्क भंडार 1955 में 5000 मिलियन टन से बढ़कर 2005 में 25,249 मिलियन टन हुआ। जीएसआई ने 5.71 लाख वर्ग किमी ओजीपी (स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावना) क्षेत्र का पता लगाया है और जीएसआई गभीरस्थ खनिजों तथा ओजीपी के विसंगत क्षेत्र की पहचान पर ज्यादा ध्यान देगा।

पारंपरिक रूप से भारत में गवेषण पर होने वाला खर्च अन्य खनन अर्थव्यवस्थाओ की तुलना में काफी कम है। विश्व गवेषण बजट में भारत का हिस्सा केवल 0.4% है। इसके अलावा, भारत में केवल 11 कंपनियों ने गवेषण गतिविधि की योजना बनाई हैं। भारत को अपना गवेषण व्यय बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उत्पादन के अनुरूप भंडार विकास रखा जा सके। सरकार ने खनिज गवेषण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति बनाने की दिशा में कार्य किया है।

जीएसआई की उपलब्ध भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को डिजीटाइज फॉर्मेट में बदला जा रहा है और खनिजों के विकास और अनुसंधान तथा गवेषण कार्यों में सहायता करने के लिए पब्लिक डोमेन में मुहैया की जा रही है।

गवेषण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण

ऑनलाइन कोर-बिजनेस इंटिग्रेटिड सिस्टम (ओसीबीआईएस)

- 'अत्याधुनिक' आईटी अनुकूल प्लैटफार्म जिसमें जीएसआई की मुख्य गतिविधियों को एकीकृत किया गया हो।
- स्टेकहोल्डरों के साथ वास्तविक समय सहयोग तथा बातचीत
- पब्लिक डोमेन में भूस्थानिक प्लेटफार्म के अंतर्गत सभी आधारभूत भूवैज्ञानिक डाटा की शेयरिंग

गवेषण परियोजनाओं को शुरू करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो गवेषण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य होगा। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए है-

- डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से सर्वेक्षण/विमान संबंधी अनुमोदनों को शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
- खनिज गवेषण कार्य हेतु एमओईएफसीसी से अपेक्षित वन मंजूरियों के लिए प्रावधानों में रियायत का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी)

2016 को **राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति** तैयार की गई ताकि मुख्य रूप से निजी गवेषण कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा की जाने वाली गवेषण

गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। एनएमईपी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

- राजस्व शेयरिंग मॉडल के माध्यम से निजी एजेंसियों को आकर्षित करना ।
- जनहित के रूप में सरकार द्वारा आधारभूत भू-वैज्ञानिक आंकड़ों का र्निमाण तथा वितरण।
- संपूर्ण देश का हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण
- एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डाटा भण्डार संग्रह का निर्माण

एनएमईपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) जनहित के रूप में सभी हितधारकों को आधारभूत भूवैज्ञानिक आंकड़े नि: शुल्क उपलब्ध कराना-

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की नि:शुल्क पहुच के लिए उपलब्ध सभी आधारभूत भूवैज्ञानिक आंकडे एक ऑनलाइन भूस्थानिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएं हैं । नीति आयोग के पूर्ण दिशा निर्देशों के तहत खान मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय की संयुक्त समिति में विचार विमर्श के बाद रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा डाटा शेयरिंग पर लगने वाले प्रतिबंधों में रियायत दी गई है। यह आने वाले समय में देश में होने वाले खनिज गवेषण में तेजी लाएगा।

(ii) देश में गवेषण हेतु हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से आधारभूत भूवैज्ञानिक डाटा के सृजन के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों का राष्ट्रीय हवाई भूभौतिकीय मानचित्रण-

जीएसआई द्वारा देश में प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक संभावना (ओजीपी) एवं समीपवर्ती क्षेत्र के 27 लाख लाइन वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने के लिए एक राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) का शुभारंभ किया गया । 12 ब्लाकों में विभाजित कुल क्षेत्र के मानचित्रण को 351 करोड़ रू. के कुल अनुमानित लागत के साथ 3 वर्षों की अवधि में 2019 तक पूरा किए जाने, की परिकल्पना की गई है। प्रथम वर्ष परियोजना1 से 4 ब्लॉकों में अप्रैल, 2017 में शुरू किया गया। 7,11,813 लाइन कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में 6,10,847 लाइन कि.मी. का डाटा अधिग्रहण पूरा किया गया। डाटा प्रोसेसिंग, व्याख्या एवं समाकलन प्रगति पर है। द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परियोजना के लिए ब्लॉक 5 हेतु वैश्विक निविदा के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) का चयन किया गया। अन्य तीन ब्लॉकों के लिए निर्णय लंबित है चूंकि कुछ बोलीदाताओं द्वारा टीएसी की सिफारिशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तथा न्यायालय में मामला लंबित है। तथापि तीसरे वर्ष की परियोजना के लिए पीआईए का चयन प्रगति पर है।

(iii) आधारभूत भूविज्ञान आंकड़ो के अभिग्रहण में तेजी लाना-

क्षमता वाले क्षेत्रों की त्वरित कवरेज के लिए राष्ट्रीय भूरासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम शुरू किए गए है। मार्च, 2018 तक जीएसआई ने एनजीसीएम तथा एनजीपीएम के तहत क्रमश: 88.93 प्रतिशत और 56 प्रतिशत ओजीपी क्षेत्र को पूरा किया। मार्च, 2019 तथा मार्च, 2022 तक संपूर्ण

अभिगम्य ओजीपी क्षेत्र में क्रमश: एनजीसीएम तथा एनजीपीएम को पूरा करने का लक्ष्य है। भूकालक्रम आंकड़ों के लिए हाई-रिजोल्यूशन सेकेन्डरी आई ऑन मास स्पेक्ट्रोमीटर प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है तथा प्रापण आदेश, दिनांक 04.04.2018 को मैसर्स एएस आई आस्ट्रेलिया के समक्ष रखा गया। दिनांक 11.05.2018 को एएसआई और जीएसआई के बीच बैठक आयोजित की गई।

(iv) राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा समूह [एनजीडीआर]-विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तथा साथ ही खनिज रियायत धारकों द्वारा सृजित सभी बेसलाइन और खनिज गवेषण सूचना का मिलान करने के लिए एक भू-आकृति मंच पर जीएसआई द्वारा सृजित एनजीडीआर-

जीएसआई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट [डीपीआर] तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता के चयन के लिए तथा एनजीडीआर की स्थापना कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के चयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति [ईओआई] जारी की है।

(v) राष्ट्रीय खनिज लक्ष्य केंद्र [एनसीएमटी] – एनएमईपी में एक विशेषीकृत स्वायत्त निकाय/कंपनी अर्थात खनिज गवेषण में खोज बढ़ाने पर बल देते हुए विशिष्ट प्रायोगिक अनुसंधान उद्यम करने के लिए एनसीएमटी का सृजन तथा गुणवत्तापूर्ण खोजों का प्रस्ताव है-

सचिव, खान की अध्यक्षता में 'स्थायी समिति' द्वारा अभिशासित समग्र प्रबंधन के साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – प्रशिक्षण संस्थान के तहत 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में राष्ट्रीय खनिज लक्ष्य केंद्र (एनसीएमटी) की स्थापना की गई। श्री पी.एस अनिल कुमार, उप-महानिदेशक प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद को निदेशक, एनसीएमटी तथा डॉ. एस रवि, निदेशक, आर.टी.आई, एसआर, जीएसआई को एनसीएमटी के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। स्थायी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.06.2018 को खान मंत्रालय में आयोजित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुने गए समन्वयकों के द्वारा ताम्र (cu), स्वर्ण (Au) और निकेल (Ni) और तत्वों के प्लेटिनम समूह से संबंधित बेस पेपर तैयार करने का निर्णय लिया गया।

(vi) खनिज गवेषण में निजी गवेषण एजेंसियों को नियोजित करना

खनिज गवेषण में निजी गवेषण कंपनियों को नियुक्त करने की एक रूप-रेखा को अंतिमरूप दिया गया है। राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास ने इस प्रयोजन के लिए 13 निजी गवेषण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है।

(vii) पायलट अनकवर परियोजना- हाल ही में अभिज्ञात ओजीपी से बाहर क्षेत्रों में गहराई में स्थित/छिपे खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए अनकवर नामक एक विशेष पहल प्रयास आरंभ करना-

पायलट अनकवर परियोजना आरंभ कर दी गई है और दो खनिज संभावित ट्रांजैक्टों, प्रत्येक लगभग 500 लाइन किमी में, कार्यान्वित की जा रही है। एक उत्तर में बुदेलखंड-अरावली खंड में तथा दूसरा दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक धारवाड़ खंड में है।

जियोसांइस आस्ट्रेलिया को एक एमओयू के अधीन इस प्रयोजना के कार्यान्वयन में सहयोजित किया गया है।

(viii) अपतटीय मानचित्रण एवं गवेषण-

जीएसआई, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान [एनआईओ] एवं राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र [एनसीएओआर] के सहयोग से देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र [ईईजैड] की तलाश की जा रही है।

जीएसआई बाथीमेट्री नीचे स्थलाकृति देखें], समुद्री सतह सेडिमेंट वितरण, गुरूत्व, चुम्बकीय आदि जैसा आधारभूत डेटा अधिग्रहित करता है और अभिज्ञात लक्ष्यों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण करता है। जीएसआई ने अनुसंधान पोतों द्वारा कुल 20,14,900 वर्ग कि.मी. के ईईजेड में से 19,99,784 वर्ग कि.मी. क्षेत्र (99.25%) में समुद्री आवीक्षण सर्वेक्षण (समुद्र तल मानचित्रण 1:50,000) कर लिया है। जीएसआई ने अनुसंधान पोत समुद्र रत्नाकर द्वारा भारत के ईईजेड के अंतर्गत 1,02,239 वर्ग कि.मी. में प्रारंभिक समुद्री खनिज शोध भी कर लिया है। इसने अपने तीन अनुसंधान पोतों के बेड़ों से सर्वेक्षण एवं गवेषण पर आधारित अपतटीय क्षेत्र में और आगे गवेषण हेतु भारी खनिजों के पूर्वेक्षण क्षेत्रों एवं निर्माण बालू की पहचान की है। इसके अतिरिक्त, 258 करोड़ रूपए की लागत का उथली प्रवेधन क्षमता वाला एक भूतकनीकी पोत की खरीद की जा रही है।

(ix) अयस्क सज्जीकरण प्रयोगशाला का उन्नयन- हमारे देश में विभिन्न अयस्कों के सीमांत/निम्न श्रेणी की गुणवत्ता के मद्देनजर सज्जीकरण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है-

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) अयस्क सज्जीकरण अध्ययनों को करने के लिए एक मुख्य एजेंसी है। आईबीएम अयस्क सज्जीकरण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए एक कंसेप्ट नोट तैयार कर रहा है। आईबीएम ने प्रारंभ में एक कंसेप्ट नोट प्रस्तुत किया था जिसकी जांच के बाद एक केंद्रित प्रस्ताव तैयार करनेके लिए देश में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए आईबीएम से अनुरोध किया गया है। क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दा है।

अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग – खनन निगरानी प्रणाली (एमएमएस)

इसरो के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय खान ब्यूरो ने "सेटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करते हुए खनन गतिविधियों की निगरानी तथा आईबीएम में दूरस्थ संवेदी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता सहित तीन वर्ष के लिए आईबीएम अधिकारियों का क्षमता निर्माण" संबंधी पायलट परियोजना शुरू करने के लिए 21.01.2016 को राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र (एनआरएससी), आईएसआरओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मंत्रालय द्वारा आईबीएम, हैदराबाद में दूरस्थ संवेदी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 2.03 करोड़ रूपए के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृत पहले ही दे दी गई है।

एनआरएससी के प्रोजेक्ट पर ठीक से कार्य हो रहा है। इस प्रौद्योगिकों को अपनाने का मुख्य उद्देश्य खनन उत्खननों का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए उपयोग करने में समर्थ होना है जोकि व्यापक रूप से खनन की निगरानी का मुख्य मानदंड है और खनन योजना में विशेष रूप से निर्धारित है। आईबीएम हैदराबाद में सुदूर संवेदना सेल की स्थापना पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

7. खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) - 'आइज वाचिंग फ्रम द स्काई'

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) सैटेलाइट-आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली है जिसका उद्देश्य स्वचालित सुदूर संवेदन खोज प्रौद्योगिकी के जरिए अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तरदायी खनिज प्रशासन व्यवस्था की स्थापना करना है। खान मंत्रालय तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना (वीआईएसएजी), गांधीनगर तथा विद्युत एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से एमएसएस का विकास किया । आसपास किसी भी अवैध खनन का पता लगाने के लिए भू संदर्भित खनन पट्टे मानचित्र संबंधी एक नवीन उपग्रह छवि को संकल्पित किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तथा यूजर फ्रेंडली ऐप तैयार की गई है जो अधिकारियों को रिपोर्ट दें व जनभागीदारी को सक्षम बनाए। एमएसएस, विश्व में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कर विकसित की गई ऐसी पहली निगरानी प्रणाली है।

अवैध खनन बहुत से खनिज समृद्ध क्षेत्रों में एक स्थानिक समस्या रही है । प्रमुख खनिजों के अवैध खनन मामलों में दर्ज की जा रही एफआईआर का आंकड़ा विगत वर्ष के 400 के स्तर से 2015-16 में 700 के स्तर तक पहुंच गया है । जबकि गौण खनिजों के मामले में स्थिति खराब होती जा रही है, पूर्व वर्ष के 3900 के स्तर की तुलना में 2015-16 में 5300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं । अवैध खनन मामलों में आई वृद्धि ने दर्शाया कि उक्त को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां अपर्याप्त थी । शामिल हितों और आसानी से परिवर्तनीय प्रणाली का परिणाम लाभार्थियों की मिलीभगत के रूप में हुआ और यह अवैध खनन को नियंत्रित करने में असफल रही ।

अब तक अवैध खनन गतिविधि की निगरानी एवं नियंत्रण रैण्डम जांच, स्थानीय शिकायतों एवं अपुष्ट सूचना पर आधारित थी। शिकायतों पर कार्रवाई एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं था और इस प्रकार इसे अपारदर्शी ढंग से किया जा रहा था जिसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती थी।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में सुशासन एवं विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स एवं अनुप्रयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में सुप्रशासन हेतु अंतरिक्ष विज्ञान की भूमिका के महत्व पर बल दिया और सभी विभागों से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की गवेषण करने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के मद्देनजर राज्य खनन विभागों के साथ अनेक बार चर्चा एवं विचार-विमर्श करने के बाद एमएसएस की संकल्पना को प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों के खनन विभागों के साथ खान मंत्रालय की केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकारिता समिति की दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

खनन पट्टों की डिजिटाइज करने की आवश्यकता थी जिसके लिए खसरा/कैडस्ट्रल मानचित्रों के खनन पट्टों को स्कैन किया गया इसके पश्चात आईबीएम द्वारा विसाग की सहायता से भू-संदर्भित व डिजिटाइज किया गया । इन डिजिटाइज मानचित्रों को आईबीएम अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से वैधता प्रदान की गई । इन डिजिटाइज मानचित्रों को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) से प्राप्त नवीन उपलब्ध सुदूर संवेदन चित्रों को उपलब्ध कराया गया ।

यह प्रणाली इस मूल आधार पर कार्य करती है कि अधिकांश खनिजों की उपलब्धता में निरंतरता बनी रहती है और उनकी उपलब्धता पट्टा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती है बल्कि आस पास के क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने की संभावना होती है। एमएसएस मौजूदा खनन पट्टा

सीमा के आस-पास 500 मी के क्षेत्र में किसी भी असमान्य गतिविधि की खोज करता है जो कि अवैध खनन हो सकता है। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसे ट्रिगर के रूप में फ्लैग-ऑफ किया जाता है।

आईबीएम के एक सुदूर संवेदन नियंत्रक केंद्र की स्थापना की गई जिसका एनआरएससी की सहायता से विस्तार किया गया जो ट्रिगर्स का अध्ययन करेगा और क्षेत्र के सत्यापन हेतु उन्हें जिला स्तरीय खनन अधिकारियों को अंतरित करेगा। मोबाइल ऐप के उपयोग से यह संचालित किए गए प्रचालन में अवैधता का पता लगाएगा और उसकी पुन: रिपोर्ट करेगा।

एक यूजर फ्रेडली मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिसका उपयोग इन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के पश्चात अपनी शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य एक ऐसी सहभागीदारी निगरानी प्रणाली की स्थापना करना है जहां नागरिक भी इस ऐप का उपयोग कर सके तथा असामान्य खनन संबंधी रिपोर्ट दर्ज कर सके।

निर्णय सहायक प्रणाली की सुविधा हेतु कार्यकारी डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है जिससे अधिकारी देशभर के सभी प्रमुख खनिज खनन पट्टों संबंधी खनन पट्टे के मानचित्रण की वर्तमान स्थिति, ट्रिगर्स के कारण ट्रिगर्स के निरीक्षण की स्थिति लगाए गए जुर्माने आदि की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं । यह https://www.ncog.gov.in/mining पर उपलब्ध है।

एमएसएस एक पारदर्शी एवं पूर्वाग्रह युक्त प्रणाली है जिसमें त्वरित अनुक्रिया काल एवं प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की क्षमता है। "आईज वाचिंग फ्रम द स्काई" का निवारक प्रभाव, अवैध खनन की घटनाओं को रोकने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा ।

परिणाम: एमएसएस के प्रभावी/लाभ

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) का उद्देश्य स्वचालित दूरसंवेदी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अवैध खनन की घटनाओं की रोकथाम करना है।

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) के मुख्य लाभ निम्न है:

1. **पारदर्शिता:** प्रणाली तक जनसाधारण की पहुंच उपलब्ध कराई।
2. **सहभागिता:** इस ऐप का प्रयोग नागरिक भी कर सकते है और असामान्य खनन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते है।
3. **पूर्वाग्रह-मुक्त:** इस प्रणाली में किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है।
4. **निवारक प्रभाव:** 'आईज वाचिंग फ्रॉम स्काई'
5. **त्वरित अनुक्रिया एवं कार्रवाई-** खनन क्षेत्र की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्र की मानिटरिंग अधिक बार की जाएगी ।
6. **कारगर अनुवर्ती कार्रवाई:** ट्रिगर पर की गई कार्रवाई का पर्यवेक्षण डीएमजी, राज्य खनन सचिव, आईबीएम के राज्य कार्यालय एवं मुख्यालय, खान मंत्रालय, भारत सरकार जैसे विभिन्न स्तरों पर भी किया जाएगा।

पहले चरण में, अक्तूबर, 2017 में देशभर में एमएसएस साफ्टवेयर द्वारा 3994.87 हैक्टेयर के कुछ क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 296 ट्रिगर्स सृजित किया गया। इन ट्रिगरों का फील्ड सत्यापन राज्य सरकार के जिला/क्षेत्रीय खनन अधिकारियों द्वारा किया गया। फील्ड निरीक्षण के पश्चात इन 296 ट्रिगरों में से 48 मामलों को अप्राधिकृत खनन माना गया । इसकी

सफलता से प्रभावित होकर राज्य गौण खनिज हेतु इस प्रणाली को लागू करने का कदम उठा रहे है।

गौण खनिजों के अवैध खनन को समाप्त करने के लिए राज्यों से एमएसएस का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है, जहां यह अधिक अनियंत्रित है । गौण खनिजों के लिए एमएसएस को अपनाने हेतु सभी राज्यों का प्रशिक्षण भी बिसाग (बीआईएसएजी) में अक्तूबर, 2017 में किया गया है । 'गौण खनिजों' हेतु एमएसएस के कार्यान्वयन का कार्य राज्य दूरस्थ सवेंदी अनुप्रयोग केंद्रों की मदद से राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, राज्यों को इसके अतिरिक्त आवश्यक किसी हैंडहोल्डिंग सहायता आईबीएम और बिसाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी ताकि वे गौण खनिजों के अवैध खनन के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एमएसएस के कार्यान्वयन में स्पेस तकनीक का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें । अभी तक मेघालय के अतिरिक्त सभी राज्यों को प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया है और गौण-खनिजों के मामले में एमएसएस के कार्यान्वयन हेतु उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है । प्रायोगिक आधार पर एमएसएस में गौण खनिजों के लगभग 12,000 पट्टों की प्लांटिंग की गई है ।

मेटी (Meity) और बिसाग (बीआईएसएजी) गौण खनिजों के लिए उक्त के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रमुख खनिजों के लिए एमएसएस पोर्टल को बढ़ाने और विस्तार देने पर सहमत हो गए हैं । डैशबोर्ड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है । राज्य सरकारों को उनके गौंण खनिज पट्टों को डिजिटाइज करने और उक्त का भू-संदर्भ लेने के लिए कहा गया है ।

प्रमुख खनिजों तथा खनिजों के लिए फेज-II में ट्रिगरों को आईबीएम द्वारा मई, 2018 में बिसाग की सहायता से सृजित किया गया तथा उनके फील्ड सत्यापन के लिए राज्यों को प्रेषित किया गया । फेज-II का सारांश निम्नवत है:-

चरण-II में प्रमुख खनिजों के ट्रिगर (23-5-18)

क्रम सं.	राज्य	कुल पट्टे	सृजित ट्रिगर	क्षेत्रफल है.
1	**राजस्थान**	180	27	45.62
2	**कर्नाटक**	277	4	42.82
3	**केरल**	12	0	0
4	**ओडिशा**	284	2	130.21
5	**तमिलनाडु**	519	7	60.14
6	**हिमाचल प्रदेश**	25	2	5.6
7	**उत्तराखंड**	3	0	0
8	**हरियाणा**	0	0	0
9	**जम्मू एवं कश्मीर**	27	2	2.91
10	**गोवा**	256	0	0
11	**महाराष्ट्र**	124	3	37.49
12	**आंध्र प्रदेश**	297	8	76.89
13	**तेलंगाना**	74	0	0
14	**मध्य प्रदेश**	411	4	11.72
15	**उत्तर प्रदेश**	2	0	0
16	**झारखंड**	139	1	137.01

17	मेघालय	15	0	0
18	असम	3	0	0
19	पश्चिम बंगाल	1	0	0
20	छत्तीसगढ	197	4	45.51
21	बिहार	1	0	0
22	गुजरात	433	7	15.64
	कुल	3280	52	611.56

एमएमएस में रखे गए लघु पट्टे और चरण–II में गौण खनिजों के ट्रिगर (28-5-18)				
क्रम सं.	राज्य	कुल रखे गए पट्टे	सृजित ट्रिगर	क्षेत्रफल है.
1	गुजरात	1764	27	158.49
2	राजस्थान	9855	37	105.43
3	गोवा	28	3	10.06
4	आंध्र प्रदेश	75	8	71.49
5	झारखंड	52	11	21.24
6	कर्नाटक	99	12	82.26
7	छत्तीसगढ	22	4	89.01
8	हरियाणा	36	4	33.09
9	महाराष्ट्र	6	2	23.91
10	तेलंगाना	40	3	8.81
11	उत्तर प्रदेश	66	4	58.42
12	तमिलनाडु	36	10	40.03
13	मध्य प्रदेश	29	0	0
14	पंजाब	10	0	0
15	केरल	16	5	22.53
16	बिहार	6	0	0
17	ओडिशा	1		
	कुल	12141	130	724.77

४. सतत खनन पहलें: खानों की स्टार रेटिंग

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर, 2015 को यूनाइटेड नेशन्स सतत विकास समिट में लगभग 150 विश्व के नेताओं को यूएन जनरल ऐसेंबली में संबोधित किया और कहा ''साझा परंतु विभिन्न उत्तरदायित्वों का सिद्धांत एक सतत विश्व के लिए हमारे उद्यम की रीढ़ है।'' माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए, खान मंत्रालय ने, खनन में सतत विकास ढांचा (एसडीएफ) के संपूर्ण और विश्वव्यापक कार्यान्वयन हेतु अपने प्रयास में, खानों की **स्टार रेटिंग** प्रणाली विकसित की है ।

खनन क्षेत्र मे तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होने के लिए निरंतर बढ रहे कार्यकलापों का भारत साक्षी रहा है । हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उछाल के साथ-साथ खनन क्षेत्र की गतिविधि में बढ़ोत्तरी देखी गई जो तेजी से आर्थिक विकास के लिए सहायक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण तथा पारिस्थितकी पर इसका प्रभाव अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । पारिस्थितकी, पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं जैसे कि

जल, वायु और भूमि का प्रदूषण स्थानीय समुदायों के साथ-साथ व्यक्तियों के विस्थापनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जो चिंता का विषय है। अत: खनन कार्यकलापों और पर्यावरण की सुरक्षा को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है ।

अवैध खनन की घटनाओं से पारिस्थितिकी पर और अधिक दुष्प्रभाव पड़ा और उपलब्ध सीमित अवसंरचना पर दबाव के कारण हमें खनन गतिविधि के लिए पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ा । समाज, खनन गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील है और खनन गतिविधि के आर्थिक लाभ और संदोहन से हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी आदि पर पड़ने वाले दबाव के बीच वाद-विवाद करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

खान मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की थी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी खनन विस्तृत एसडीएफ के पैरामीटरों के अंतर्गत किए जाएंगे जोकि इस निर्देशक सिद्धांत पर आधारित होगा कि कोई भी खनिक खनन किए गए क्षेत्र का पुनरूद्धार करेगा और इसके बाद इस खनन क्षेत्र को समुदाय को पहले से बेहतर पारिस्थितकी स्थिति में सौंपेगा ।

खान मंत्रालय ने इसके पश्चात खनन कार्यकलाप करने, समग्र वृद्धि को शामिल करने के लिए, वर्तमान में और भावी पीढ़ी में भी अच्छी तरह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सतत विकास ढांचा (एसडीएफ) को तैयार किया है । खान मंत्रालय ने खनन फुटप्रिंटों के मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रणाली विकसित की है और एसडीएफ का प्रथम प्रायोगिक रोलआउट ओडिशा में मैसर्स टाटा स्टील की सुकिंदा क्रोमाइट खान में शुरू किया गया । तत्पश्चात, बहुत सी अन्य खानों को एसडीएफ के ढांचे के अंतर्गत लाया गया है।

स्टार रेटिंग को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा । इसे एक विश्वस्तरीय प्रणाली के तौर पर शामिल किया गया है । जिसमें खान प्रचालक द्वारा स्व-मूल्यांकन टैम्पलेट्स भरने का प्रावधान है जिसका मूल्यांकन भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से किया जाएगा ।

खानों की स्टार रेटिंग के मसौदा मूल्यांकन टैम्पलेट को विस्तृत रूप से परिचालित करने और पणधारियों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट करने के पश्चात तैयार किया गया है । तदुपरांत, एक पणधारी परामर्शी कार्यशाला का आयोजन भी 19 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में किया गया । इसके पश्चात परामर्शदाता बैठक में प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा करने और एसडीएफ मूल्यांकन टैम्पलेट को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया । समिति की अध्यक्षता श्री ए.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अतिरिक्त वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों को शामिल किया गया जैसे कि श्री पृथूल कुमार- निदेशक, खान मंत्रालय, श्री पी.एस. उपाध्याय - सेवानिवृत्त निदेशक, एनएमडीसी, श्री पी.एन शर्मा- क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो और फेडेरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री (फिमी) के प्रतिनिधि । समिति ने कार्यशाला के दौरान दिए गए सुझावों में से प्रत्येक की समीक्षा करने के पश्चात, खानों की स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टैम्पलेट को दिनांक 23.05.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया ।

यह मूल्यांकन निम्न पैरामीटरों पर आधारित है:

- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक और क्रमबद्ध खनन

- खनन से प्रभावित व्यक्तियों के पुन:स्थापन और पुनर्वास के सामाजिक प्रभाव का समाधान करना
- स्थानीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदाय भागीदारी और कल्याणकारी कार्यक्रम
- खनन की गई भूमि का वास्तविक से भी बेहतर स्थिति में पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील और अंतिम खान समापन
- खनन प्रचालनों और रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना ।

खनन पट्टों के निष्पादन पर आधारित 1 से 5 की स्टार रेटिंग उन खानों को दी जाएगी जो रिपोर्टाधीन अवधि में 180 से अधिक दिन तक प्रचालन करती रही। प्रारंभ में स्टार रेटिंग प्रमुख खनिजों के लिए की जाएगी। स्टार रेटिंग प्राप्त करने के सकारात्मक प्रभाव से खनिकों को तुरंत सतत खनन प्रणालियों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। खनन क्षेत्र द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण की अनुपालना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उपायों के मूल्यांकन के लिए एक वेब समर्थ ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई जिसका शुभारंभ 18 अगस्त को हुआ ।

परिणाम: स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रभाव/लाभ

खानों की स्टार रेटिंग की नवीन प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं:

- खनन गतिविधियों से भूमि, वायु एवं जल पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को व्यापक रूप से कम करना ।
- ऑनलाइन स्टार रेटिंग प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अत्यधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं दक्ष होगी। यह ऑनलाइन प्रणाली खनन टेनमेंट प्रणाली तथा मौजूदा ऑनलाइन विवरण प्रणाली के साथ एकीकृत की जाएगी। इसमें आईबीएम द्वारा एक प्लैटफार्म पर खनन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकी, पर्यावरणीय एवं सामाजिक डेटा शामिल किया जाएगा, जिसका उपयोग बेहतर प्रबंधन एवं अनुपालना की निगरानी के लिए किया जाएगा। पूर्व की प्रणाली निगरानी के केवल तकनीकी पक्ष तक ही सीमित थी।
- खनन एवं परिरक्षण गतिविधियों से संबंधित सूचना की पब्लिक डोमेन पर उपलब्धिता से अधिक पारदर्शिता आएगी और स्टेकहोल्डरों की प्रतिभागिता से विवादों का शीघ्र समाधान होगा।
- खनित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की गहन निगरानी और अंतत: खनन क्षेत्र को जिस स्थिति में प्राप्त किया गया था उस से बेहतर पारिस्थितिकी स्थिति में समुदाय को सौंपना।
- उच्चतम मानकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना एवं बेहतर प्रणालियों को साझा करना।

वर्ष 2016-17 के लिए सभी 1043 खानों के ऑनलाइन दर्ज टेम्पलेट्स में से 444 खानों का 4 एवं 5 स्टार रेटिंग के रूप में स्व मूल्यांकन किया गया । 542 खानों का विधिमान्य संबंधी कार्य पूरा किया गया और 57 खानों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई जबकि 204 खानों को 4 स्टार रेटिंग दी गई। वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की वर्षवार स्थिति निम्नलिखित है-

वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए स्टार रेटिंग की वर्षवार स्थिति

	वर्ष **2015-16**	वर्ष **2016-17**	**वर्ष 2017-**

					18
	स्व-मूल्यांकन	विधि मान्यकरण के बाद	स्व-मूल्यांकन	विधि मान्यकरण के बाद	स्व-मूल्यांकन
5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	74	34	162	57*	7
4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	169	106	282	204	1
3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	256	71	286	196	7
2 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	63	4	140	24	0
1 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	89	2	153	52	6
0 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या	5	0	20	5	0
कुल	**656**	**217**	**1043**	**542**	**21**

* 4 खानों का पुन: वैधीकरण किया की जा रहा है। ** केवल 4 स्टार और 5 स्टार की वैधता।

स्टार रेटिंग प्रणाली को कुशल और उत्तरदायी खनन प्रैक्टिस संबंधी उपायों को अपनाने के लिए गौण खनिजों को भी कवर करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा गौण खनिजों की स्टाररेटिंग के लिए टेम्पलेट विकसित की गई है और 30.01.2018 को राज्यों में परिचालित किया गया। यह गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने का अधिकार राज्यों को देती है जो गौण खनिज पट्टों में सतत् विकास अवसंरचना को अपनाने में सहायता करेगा। राज्यों ने गौण खनिजों के संबंध में कार्यान्वित करने हेतु अपनी क्षमता निर्माण के लिए समय की मांग की है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग : खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस)

सूचना प्रौद्योगिकी को खनिज प्रशासन की सरकारी क्षमता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। कुछ राज्य अर्थात् ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि इसमें आगे हैं तथा उन्होंने पहले ही खनिज प्रशासन के क्षेत्र में आईटी को शुरू किया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 देश में खनिज रियायत के आवंटन और प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता की व्याख्या करती है। नीति में महत्वपूर्ण रूप से पट्टा आवेदन, समाप्ति और नवीकरण की स्थिति सहित रियायत डाटा की व्यवस्थित प्रबंधन के लिए खनन टेनेमेंट पंजीयन विकसित करने पर जोर दिया गया है। खनिज रियायत व्यवस्था में पंजीयन ई-समर्थ प्रक्रिया के दौरान, इस वेब-आधारित प्रणाली को जीआईएस के साथ भी समाकलित किया जाएगा। जिससे कि सूचना को मानचित्र आधारित सर्विस के रूप में स्थानिक रूप से दर्शाया जा सके।

इससे खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस) विकसित करने की अवधारणा पर बनी जो मुख्यत: संपूर्ण रियायत चक्र जो क्षेत्र की पहचान से शुरू होकर खान समापन तक होगी; को कवर करती है तथा विभिन्न पणधारकों को इलेक्ट्रानिक फाइलों को सही समय पर स्थानांतरित करने तथा डाटा का विनिमय करने के लिए एक दूसरे से जोड़ती है। यह खनिज रियायत व्यवस्था के प्रभावकारी प्रबंधन तथा केंद्र और राज्यों के प्रचालनों में पारदर्शिता को समर्थ करेगा। सामरिक स्तर पर प्रचालनों की दक्षता में वृद्धि होगी तथा कार्यनीतिक स्तर पर अंत: क्षेप और नीति निर्णय संबंधी बटन दबाते ही (क्लिक) प्रबंधन सूचना उपलब्ध होगी।

इसमें केंद्र और राज्यों की सरकारी ऐजेंसियों जैसे आईबीएम, खान मंत्रालय, जीएसआई, राज्य सरकारें, आदि के विविध पणधारी, खनन और सहबद्ध उद्योग जैसे खनिकों, ट्रांसपोर्टरों, स्टाकिस्ट, ट्रेडर्स आदि शामिल किए गए हैं । एमटीएस सॉफ्टवेयर को, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, न केवल राज्यों की वर्तमान आईटी प्रणालियों के साथ वरन बहुत से अन्य वर्तमान आईटी अनुप्रयोगों जैसे आधार, आरटीओ आंकड़े, जीएसटी आदि के लिए भी शामिल किया जाएगा । एमटीएस, एक बार विकसित होने पर, सूचना के वास्तविक समय आदान-प्रदान के लिए उद्योग के विभिन्न पणधारियों को जोड़ने वाले खनन क्षेत्र के लिए आधारभूत आईटी ढांचा तैयार करेगा ।

माइनिंग टेनेमेंट प्रणाली हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी को आईबीएम द्वारा पहले ही तैयार कर दिया गया है।

एमटीएस, अवैध खनन, रॉयल्टी की चोरी आदि की संभावना को कम करते हुए और खनिज क्षेत्र के संबंध में डाटा प्रोसेसिंग को बढ़ाते हुए, पिटहेड से इसके अंत्य उपयोग तक देश में उत्पादित सभी खनिजों की शुरूआत से अंत तक राष्ट्रीय स्केल एकाउंटिंग में सहायक होगा ।

दिनांक 20.03.2018 को आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में फेज-I मॉड्यूल पीएमकेकेकेवाई, दैनिक विवरण एवं पंजीकरण का शुभांरभ किया गया ।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) स्कीम को जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत एकत्रित निधियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए किया जाएगा । पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु पोर्टल को एमटीएस परियोजना के नियंत्रण परिवर्तन हेतु प्रावधान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य निधि संग्रहण के लिए ओएएस के साथ इसका बैकवर्ड एकीकरण है ।

पीएमकेकेकेवाई कार्यान्वयन के निगरानी पोर्टल हेतु मॉड्यूल में निधियों के संग्रहण और उपार्जन से लेकर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इसके उपयोग और निगरानी तक का कार्य शामिल है ।

पोर्टल का उपयोग न केवल केंद्र और राज्य स्तर से निगरानी के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा वरन यह प्रत्येक जिला स्तर पर, जहां डीएमएफ की स्थापना की गई है, निधि संग्रहण की ऑनलाइन निगरानी और परियोजना कार्यान्वयन में भी सहायक होगा ।

यह पोर्टल स्थानीय लोगों और अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे अन्य पणधारियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में प्रमुख सूचनाओं का प्रसार करेगा । यह पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावित व्यक्तियों और पणधारियों की भागीदारी के दृष्टिकोण में सहायता करेगा और उनकी समस्याओं को सुधारने में सहायता करेगा ।

इनपुट और निगरानी के लिए यूजर इंटरफेस का सृजन प्रणाली में जिला स्तर पर किया जाएगा । पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में बेसिक डाटा इनपुट का कार्य संबंधित डीएमएफ द्वारा किया जाएगा जैसे परियोजना विवरण, आरंभ तिथि, लक्ष्य तिथि, मंजूर और व्यय की गई राशि, प्रगति, जीआईएस समर्थ निगरानी, लाभार्थी, प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्र, आदि ।

दिनांक 20.03.2018 को आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में फेज-I मॉड्यूल पीएमकेकेकेवाई, दैनिक विवरण एवं पंजीकरण का शुभारंभ किया गया ।

MINISTRY OF MINES
GOVERNMENT OF INDIA
INDIAN BUREAU OF MINES
Select Language English
MTS
HOME
ABOUT US
DOWNLOADS
IMPORTANT LINKS
GALLERY
CONTACT US
LOGIN
EXPLORE THE WORLD OF AUTOMATING
THE ENTIRE CONCESSION
LIFE-CYCLE OF INDIAN MINES
Mining Tenement System (MTS)

10. अवैध खनन और इसकी रोकथाम

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार राज्य सरकारों को अवैध खनन की रोकथाम करने तथा उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है इसलिए, विनियमन और अवैध खनन आदि की रोकथाम संबंधी मामले, ऐसे मामले हैं जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- खनिजों को अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण संबंधी नियम बनाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकारों को दिया गया है।

(i) अवैध खनन का अभिप्राय बिना किसी आवीक्षण परमिट अथवा पूर्ववेक्षण अनुज्ञापत्र के किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जैसा भी मामला हो, किया जाने वाला आवीक्षण, पूर्ववेक्षण अथवा खनन प्रचालन है, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (I) के तहत एक खनन पट्टे का होना अपेक्षित है । खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है तथा राज्य सरकारें, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन तथा खनिज भंडारण और राज्य में उससे संबंधित उद्देश्यों हेतु ऐसे नियम बना सकती है ।

(ii) एमएम (डी एंड आर) अधिनियम 1957 के तहत कथित धारा के प्रावधानों की अनुपालना में खान मंत्रालय ने अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक तीन स्तरीय रणनीति का निर्माण किया है अर्थात आईबीएम से एक प्रतिनिधि के साथ जिला व राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण और केंद्रीय सरकार द्वारा अवैध खनन पर त्रैमासिक रिर्टन की प्रस्तुति हेतु समीक्षा ।

(iii) राज्य स्तर टास्क फोर्स का गठन:- 22 राज्य सरकारों ने एक साथ मिल कर टास्क फोर्स का गठन किया है नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल । इस टास्क फोर्स का कार्य विभागों के सदस्यों द्वारा अपने संबंधित न्याय क्षेत्र में अवैध खनन कार्यकलापों की जांच हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा करना है ।

(iv) एमएम (डी एंड आर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण: 20 राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर अवैध खनन को रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण किया है नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ।

(v) अवैध खनन पर तिमाही रिपोर्ट की प्राप्ति :- राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम संवंधि तिमाही रिटर्न आईबीएम को जमा करती है । आईबीएम, विभिन्न राज्य सरकारों से रिटर्न प्राप्त होने पर होने वाली रिटर्न सूचना को समेकित कर नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही के अंत तक मंत्रालय को भेजता है ।

प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के मामले को दर्शाने वाला वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण

अवैध खनन के मामले							2013-14 से 2017-18 तक की गई कार्रवाई (सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही तक)			
क्र.सं	राज्य	2013 – 14	2014-15	2015-16	2016-17	2017– 18 (दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही तक संचयी)	दर्ज एफआईआर (सं)	दर्ज न्यायिक मामले (सं.)	जब्त वाहन (सं.)	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (लाख रू. में)
1	आंध्र प्रदेश	7692	9379	9953	9703	6269	22	12	9	15047.738
2	छत्तीसगढ़	3994	4953	5862	4794	3427	2	22987	1138	4004.317
3	गोवा	1	0	2	0	0	1	0	1	0
4	गुजरात	5447	5716	6499	8325	6069	394	29	21963	17080.11
5	झारखंड	901	1162	1645	838	1573	2939	481	4396	542.65
6	कर्नाटक	8509	8464	9185	5692	4020	1888	468	11597	11649.30
7	मध्य प्रदेश	6725	8173	13627	13880	11619	516	42942	2978	115077.685
8	महाराष्ट्र	36476	32717	33621	31173	18974	1329	1	163758	31058.05
9	ओडिसा	76	104	62	45	36	0	4	79	1181.292

10	राजस्थान	2953	2945	3661	3945	3622	2584	41	11695	7772.346
11	तमिलनाडु	1078	205	58	87	48r	15297	16	45905	15477.082
12	तेलंगाना	-	3311	6538	5839	4593	0	0	4	5314.61
कुल योग		**73852**	**77129**	**90713**	**84321**	**60202**	**24972**	**66981**	**263523**	**224205.18**

11. भारत में बालू खनन संबंधी व्यापक रूपरेखा :

4 मई, 2017 को राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय खान सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में बालू खनन की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करने तथा इस क्षेत्र से संबंधित मांग और आपूर्ति, अवैध खनन मुद्दों, एमएसएस के उपयोग, बालू मूल्य निर्धारण, एम-बालू (विनिर्मित बालू) की व्यवहार्यता तथा बालू के आयात, परीक्षण सुविधाएं तथा बालू की क्वालिटी, खनिज रियायतों का आकार आदि समस्याओं के समाधान के लिए अनुप्रयोजन हेतु एक मॉडल के रूप में व्यापक बालू खनन नीति/दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

इस समिति ने बालू खनन तथा उपयोग, गौण खनिज नियमों/14 राज्यों के बालू खनन नियमों, मांग आपूर्ति आकलन, बालू पहुंच स्थलों की पहचान, राज्यों द्वारा तैयार की जा रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों की क्वालिटी का आकलन, बाउल्डर खदानों की आवंटन पद्धति, आयातित बालू के लिए गुणवत्ता जांच मानकों, प्रमुख उपभोक्ताओं तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा बालू की सोर्सिंग और अर्द्धयांत्रिक एवं यांत्रिक खनन के कानूनी पहलुओं की विद्यमान पद्धतियों का अध्ययन किया है।

माननीय खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा 20 मार्च, 2018 को आयोजित तीसरे एनसीएमएम सम्मेलन समारोह में रिपोर्ट जारी की गई। यह राज्यों के लिए उनकी बालू खनन नीति को पुन: डिजाइन करने में अत्यंत सहायक दिशा निर्देश उपलब्ध कर रहा है।

12. विविध

अपतटीय खनन आरंभ करना

- देश में अपतटीय खनन कार्यकलाप आरंभ नहीं किए गए हैं । इन्हें आरंभ करने के लिए मंत्रालय अपतट ब्लॉकों के आवंटन हेतु विधायी ढांचे में संशोधन कर रहा है । एसबीआई कैप्स को अधिनियम तथा नियमों में संशोधन करने हेतु प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ।

गौण खनिज नियम

- दीपक कुमार के मुकदमें (2009 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 19628-19629 में 2011 का ओए सं. 12-13) में उच्चतम न्यायलय के दिनांक 27/02/2012 के निर्णय के अनुसरण में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन मंजूरी को किसी भी क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए अनिवार्य बना दिया गया था । धारा 20क के अधीन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में राज्यों द्वारा कार्रवाई की जाती थी ताकि राज्यों के मुख्य मंत्रियों को खान मंत्रालय के दिनांक 24.11.2015 के अ.शा. पत्र सं.

16/119/2015-एम-VI/220 के विशेष आलोक में गौण खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां कार्यान्वित की जा सकें ।

खान मंत्रालय की कौशल योजना:

- कौशल योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि यह कार्यदल को विकास की और आने वाले समय में भारतीय खनन उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों में समर्थ बन सके । मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- कर्मचारियों के वर्तमान अनिवार्य कौशल स्तर प्राप्त करने के लिए जॉब प्रोफाइलिंग तथा आकलन एवं खनन उद्योग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

    - कामगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का डिजाइन तैयार करना एवं स्थापना करना।
    - कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा कंपनियों के लिए सूचना एवं स्थल प्रशिक्षण में सुधार हेतु मेन्टा-शिप-ऑन-द-जॉब कार्यशालाओं के लिए क्षमताएं विकसित करना।
    - कार्यदल विकास कार्यक्रमों का डिजाइन एवं स्थान पर उपलब्धि जिससे तकनीकी प्रशिक्षण एवं ऑन-द-जॉब कार्य-निष्पादन में सफलता में वृद्धि हो।
    - कौशल प्रशिक्षण कार्यस्थल सफलता के अनुरूप होगा।

*****